विश्व बांध आयोग - दस वर्ष बाद

भारत डोगरा

कुछ वर्ष पहले जब अनेक देशों में बड़े बांधों का जमकर विरोध हो रहा था तो बांध-निर्माण से जुड़े विवादों को हल करने में मदद के लिए विश्व बांध आयोग (वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स) की स्थापना की गई। इस आयोग ने विश्व स्तर पर बांधों से जुड़े सवालों का संभवतः अब तक का सबसे विस्तृत अध्ययन किया। बांध निर्माण कंपनियों व सरकारी अधिकारियों से लेकर बांध-विरोधी आंदोलनकारियों व बांध प्रभावित गांववासियों, सभी के विचारों व अनुभवों को जानने का प्रयास किया गया। भारत में भी आयोग ने अपना काम किया।

काफी विस्तार वाली व जटिल प्रक्रिया से गुज़रते हुए इस आयोग ने वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बांध प्रभावित समुदायों, विशेषकर आदिवासियों से न्याय करने व बांध के नीचे नदी के पर्यावरण को बचाने जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए थे। एक सहमति बनाने की कोशिश की गई थी कि किन उपायों को अपनाकर किसी बांध के पर्यावरणीय व सामाजिक प्रतिकूल असर न्यूनतम किए जा सकते हैं।

इस वर्ष आयोग की रिपोर्ट को आए दस वर्ष बीत गए हैं। सवाल यह है कि इस दशक के दौरान बांध निर्माण से जुड़ी समस्याओं व विवादों को सुलझाने में कितनी सफलता प्राप्त की गई। विश्व स्तर पर देखें तो ऐसे थोड़े-बहुत उदाहरण ज़रूर नजर आते हैं कि आयोग की कुछ संस्तुतियों को अपनाकर कुछ बांधों की चर्चित समस्याओं को कम करने का प्रयास किया गया है। पर कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बांध निर्माताओं से अधिक सावधानियां अपनाने व संभावित दुष्परिणामों को न्यूनतम करने के प्रयास करने की जो उम्मीद की गई थी, उस उम्मीद को वे पूरा नहीं कर सके हैं। इस तरह विश्व बांध आयोग का उद्देश्य जितना सफल हो सकता था, उतना नहीं हो सका है।

दरअसल जब आयोग की स्थापना की गई थी तब बांध निर्माण उद्योग व्यापक विरोध के कारण कठिनाई में था। पर पिछले दशक के दौरान बांध निर्माता कंपनियों ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि जलवायु बदलाव के इस दौर में बांध निर्माण की उपयोगिता और बढ़ गई है। इसके जवाब में अनेक पर्यावरणविदों ने कहा है कि बड़े बांध, विशेषकर स्टोरेज परियोजनाओं में ग्रीनहाउस गैसों, विशेषकर मीथेन का उत्सर्जन बहुत होता है। पर इस तर्क पर ध्यान न देकर बांध निर्माता बार-बार यही कह रहे हैं कि अब इस उद्योग की उपयोगिता बढ़ गई है।

दूसरी ओर बांध प्रभावित समुदाय व आंदोलनकारी जगह-जगह पर बता रहे हैं कि बांध निर्माता ज़रूरी सावधानियों की अवहेलना कर रहे हैं। परियोजना आरंभ करने से पहले उसकी ज़रूरत का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता है। यही कारण है कि ये परियोजनाएं प्रायः बहुत महंगी साबित होती हैं और लोगों में जो असंतोष फैलता है वह अलग।

विश्व बांध आयोग द्वारा सुझाई गई सावधानियों व अन्य संस्तुतियों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह भी बहुत ज़रूरी है कि नदियों के अविरल बहाव की पर्यावरणीय आवश्यकता व नदियों में पनप रहे जीवन की रक्षा के लिए उसके महत्त्व को भी समझा जाए। ***(स्रोत फीचर्स)***

स्रोत सजिल्द

वर्ष 2009 के सारे अंक एक जिल्द में उपलब्ध हैं